

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम
 नं 37/15 तारीख 21.7.15

उपनाम - रेमना चन्द बनाम गुरव्याभीम केसे
 जौल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

श्री श्री ओर से श्रीमदनमोहनशर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र
 याची निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का
 लोकावकाश किया गया। प्रार्थी वकील की एकतरफा वदस्त
 गिरी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना
 प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को अन्तर्निम अस्थायी
 निषेधाज्ञा से आगामी सुनवाई तिथि तक बाधित किया
 जाये कि गुजरात जौल के आराजी प्र. नं 281 रकबा
 एयर 282 रकबा 51 एयर श्रमि में कलजा का इतने में
 आहत भदा खलत नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर
 अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस से तलब कर पत्रावली
 नं 7.9.15 को पेश हो।

1558-69
 22-7-15

जिला कलक्टर
 टोडाभीम (फर्दी)

पत्रावली पेश हुई। बार श्री ओर से कार्य स्थगित
 गया। अप्रार्थी नं 1 ता 11 की तामिल तहसील दार
 भीम से अप्राप्ट है। अप्रार्थी नं 12 की तामिल है। श्री
 तामिल इन्तजार तामिल दिनांक 12-10-15 को पेश

प्रार्थी वकील उपनं 12 अप्रार्थी नं 12 अप्रार्थी नं 12 अप्रार्थी नं 12
 यक्षीय कार्रवाई की जाती है अप्रार्थी नं 1 ता 11 की
 से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने उपस्थिति दर्ज
 है। पेश करने वकालत नामा वजबाप 24.11.15
 पेश हो।

Direct
 12-20-15

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	
10.1.17	वकुलाय उप/ गतानुसार दि. 23.1.17 को पेश हो
23.1.17	वकुलाय उप/ गतानुसार दि. 28.2.17 को पेश हो
8.2.17	वकुलाय उप/ बहस हेतु लगप चाला/ दिया गया/ दिनांक 20.2.17 को पेश हो
20.2.17	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 28.2.17 को पेश हो।
28.2.17	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी द्वारा पर पेश है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 2.3.17 को पेश हो।
7.3.17	वकुलाय उप/ बहस लुकी गई पत्रावली का क्षण तो रखा किया। प्रार्थनापत्र अध्याय निवेदार्थ सायत खारिज किया जाता है। विस्तृत विधि पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फौजल शुभ्रा हेतु द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न करें।

उप. जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)